अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2018 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। अपीलार्थी की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.02.2018 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत किया था, जिस पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने उसे जानबूझकर वांछित सूचना निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई है इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1)(2) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/– हर्जाना लगाया जावें एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया जावें और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> हाजरी रजिस्टर माह अप्रैल 2000 जून 2000 का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रति मिनिस्ट्रल स्टाफ

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलर्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 76 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा सूचित किया है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल के द्वारा हाजरी रजिस्टर माह 04/2000 एवं 06/2000 चाही थी। नियमानुसार सूचना के अधिकार के तहत तृतीय पक्ष की सूचना दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक स्थापना/2018/68 दिनांक 08.03.2018 के द्वारा अपीलार्थी श्री राधेश्याम को निम्न प्रकार से सूचना दी है।

> लेख है कि आपके द्वारा हाजरी रजिस्टर माह 04/2000 एवं 06/2000 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी, नियमानुसार तृतीय पक्षकार की जानकारी सूचना अधिकारी के अन्तर्गत दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है

२।५।१८
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचनां बना सकते है और न ही वें स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर सूचना नहीं उपलब्ध करवाई गई है क्योंकि वांछित सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित हैं और तृतीय पक्ष की सूचना उपलब्ध करवाने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 में तृतीय पक्ष की सूचना के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये है। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 8 व 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार कर निर्णय करना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में पुनः उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस में निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर